न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 23 / 2010 सत्रवाद संरिथति दिनांक 08.02.2010 मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-अभियोजन

बनाम

- जगन्नाथसिंह पुत्र भोगीराम यादव उम्र 55 1. वर्ष ।
- ALINATA PARETO BUT प्रदीप उर्फ नाना पुत्र जगन्नाथ सिंह यादव 2. उम्र 25 वर्ष।
 - गुड्डा उर्फ रणवीर पुत्र बरजोरसिंह यादव 3. उम्र ४२ वर्ष।
 - लला उर्फ वेदप्रकश यादव पुत्र बट्टी 4. यादव उम्र 28 वर्ष। समस्त निवासी लुहार पुरा करबा मौ, थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री सुशील कुमार के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क० 1039 / 2009 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 23/2010

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। <u>अभियुक्तगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव, श्री बी.एस.यादव अधिवक्तागण।</u>

/ / निर्ण य / /

//आज दिनांक 28/12/2015 को घोषित किया गया//

आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर का विचारण धारा 307/34 भा०द0वि० एवं शेष आरोपीगण का विचारण धारा 307, 307 / 34 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उन पर आरोप है कि दिनांक 07.08.2009 को शाम

05:30 बजे फरियादी दिलासाराम के मकान के सामने लुहारपुरा थाना मौ में फरियादी रणवीरसिंह को अग्नेय आयुध से उपहित कारित करने के आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में उक्त कृत्य किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते और इस प्रकार उसे उपहित कारित की। उन पर आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर सहआरोपगण जगन्नाथ, लला, गुड्डू के साथ आहत रणवीर को अग्नेय शस्त्र से फायर कर प्रांण घातक उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया जिसके अग्रसरण में आरोपी प्रदीप ने 12 बोर की अधिया से इस आशय या ज्ञान से एवं ऐसी परिस्थितियों में उस पर फायर कर उसे उपहित कारित की।

<equation-block> अभियोजन का प्रकरण सक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 07. 08.2009 को फरियादी दिलासाराम ने थाना मौ में आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि आज शाम करीब 05:30 बजे का समय था, वह, रणवीर, दलवीर, प्रहलाद और रिन्कू अपने दरवाजे की चौपाल पर कुर्सियाँ डालकर बैठे थे। उसी समय पुरानी रंजिश पर से प्रदीप 315 बोर की अधिया, जगन्नाथ 315 बोर का कट्टा, लला 315 बोर की अधिया व गुड्डा फर्सा लेकर आये और उसके भतीजे रणवीर को गाली देने लगे। उसके भतींजें रणवीर ने खड़े होकर गाली देने से मना किया तो प्रदीन ने जान से मारने की नियत से 315 बोर की अधिया से रणवीर को गोली मारी जो उसके वांए हाथ की बाजू में लगी, घाँव होकर खून बहने लगा तथा जगन्नाथ व लला ने भी जान से मारने की नियत से कट्टा व अधिया से 4-5 फायर किए जिससे वह लोग बाल बाल बचे। गुड्डा कह रहा था कि मारो सालों को बचने न पाए। घटना कारित करने के बाद आरोपीगण घटनास्थल से भाग गए। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध अप.क. 155/09 धारा 307/34 भा0द0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। आहत को मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 के अनुसार फरियादी की निशादेही पर बनाया गया एवं घटना स्थल से 2 खोखे 315 बोर के जिनकी पेंदी पर के.एफ.8एम.एम लिखा हुआ था प्र. पी. 3 के अनुसार जप्त किए। अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण की गिरफ्तारी की गुई । आरोपी लला उर्फ वेदप्रकाश का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेडम कथन लेखबद्ध किया गया जिसमें उसके बताए अनुसार प्र.पी. 5 के अनुसार एक कट्टा 315 बोर का हाथ का बना हुआ एवं एक

राउण्ड 315 बोर का जिसकी पेंदी पर के.एफ.८एम.एम. लिखा था जप्त किया गया। जप्तशुदा अग्नेयशस्त्र एवं राउण्ड को परीक्षण हेतु राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 03. आरोपी गुड्डा उर्फ रणवीर के विरूद्ध धारा 307/34 भा0दं०वि० एवं शेष आरोपीगण के विरूद्ध धारा 307, 307/34 भा0दं०वि० का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।
- 05. आरोपीगण के विरूद्ध विचारित किये जा रहे अपराध के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि:—
- (i) क्या दिनांक 07.08.2009 को शाम 05:30 बजे फरियादी दिलासाराम के मकान के सामने लुहार पुरा मौ में रणवीरसिंह पर बंदूक से फायर इस आशय या ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते?
- (ii) क्या आरोपीगण / आरोपी के द्वारा इस दौरान आहत रणवीरसिंह के साथ कट्टे से प्रहार कर उसके उपहति कारित की?
- (iii) क्या आरोपीगण के द्वारा अन्य सहआरोपी के साथ सामान्य आशय का गठन किया जो कि आहत रणवीर की हत्या करने के प्रयत्न का था इस हेतु उसे बंदूक से इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में प्रहार किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते और इस प्रकार आहत रणवीर को उपहति कारित की?

—: सकारण निष्कर्षः–

बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 :--

06. डॉक्टर संजय जैन अ०सा० ७ के अनुसार दिनांक ०७.०८.२००९ को

सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र मौ में पदस्थ दौरान उन्होंने आहत रणवीरसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण में आहत को एक लेसीरेटिट वूण्ड 0.5 से.मी. गुणा 0.5 से.मी. गुणा 1 से.मी. वाई वाजू के ऊपरी भाग में बाहर की तरफ था जिसके चारों तरफ ब्लेकनिंग मौजूद थी जो कि घाँव फायर आर्म्स से आ सकना बताया था। चोट की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी और आहत को एक्सपर्ट सर्जीकल ऑपीनियन हेतु माधव डिस्पेंसरी ग्वालियर के लिए रेफर किया गया था। मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। डॉक्टर एस.राजेश अ०सा० 3 के द्वारा दिनांक 07.08.09 को जयारोग अस्पाल ग्वालियर में पदस्थ दौरान कि आहत का एक्सरे परीक्षण किया है जिसमें आहत को कोई अस्थिमंग होना नहीं पाया गया है।

- 07. इस प्रकार चिकित्सक के कथन से स्पष्ट है कि आहत के शरीर पर घटना के पश्चात् फायर आर्म्स की चोट थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या आरोपीगण के द्वारा आहत रणवीर की हत्या करने का प्रयत्न किया गया? क्या हत्या के प्रयत्न के दौरान आहत को उपरोक्त फायर आर्म्स की चोटें पहुँचाई गई? क्या आरोपीगण के द्वारा आहत रणवीर की हत्या का प्रयत्न करने का सामान्य आशय गठित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए उस पर आरोपीगण या किसी आरोपी के के द्वारा फायर आर्म्स से चोट पहुँचाकर उपहति कारित की?
- 08. घटना के रिपोर्टकर्ता दिलासाराम यादव अ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आरोपियों को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को वह लोग शाम के पांच साढे पांच बजे घर में बैठे हुए थे और गृहस्थी की चर्चा कर रहे थे। इतने में आरोपी प्रदीप, लला, गुड्डू और जगन्नाथ आए। प्रदीप के पास 315 बोर की अधिया, लला के पास 315 बोर की अधिया, गुड्डू के पास फर्सा था तथा आरोपी जगन्नाथ खाली हाथ था, आकर वह गाली गलोज करने लगे तब उसके भतीजे रणवीर ने उनसे कहा कि गाली गलोज क्यों कर रहे हो, इतने में प्रदीन ने अधिया से फायर किया जो कि रणवीर के वांए कंधे में लगा, लला ने भी फायर किया। आरोपी गुड़्डू कह रहा था कि मारो सालों को। सभी लोग गाली गलोज व फायर कर रहे थे। इसके बाद रणवीर को थाना ले गए थे, रिपोर्ट उसने लिखाई थी जो प्र.पी. 1 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामोका तैयार किया था जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल से 315 बोर के दो खोखे जिस पर के.एफ. 8एम.एम. लिखा था जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 3 बनाया था जिस पर भी ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- साक्षी दिलासाराम अ०सा० 1 के साक्ष्य कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत 09. जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 5 में साक्षी स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर के अंदर था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि घर में जिस स्थान पर वह बैठा हुआ था वहाँ से बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना में किसने फायर किया था वह नहीं देख पाया था। उसने मुख्य परीक्षण में आरोपी प्रदीप के द्वारा अधिया से फायर करने वाली जो बात बताई गई है वह पड़ोस में रहने वाले चौबेसिंह के कहने पर बताई है और इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना उसने अपनी ऑखों से नहीं देखी थी। उक्त साक्षी को प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा पुनः परीक्षण किया गया है, पुनः परीक्षण में भी इस बात से इन्कार किया है कि उसने घटना देखी थी और यह सुना और देखा था कि आरोपी गाली गलोज कर रहे थे तथा आरोपी प्रदीप के पास 315 बोर की अधिया और लला के पास 315 बोर का अधिया और गुड्डू के पास फर्सा था। इस प्रकार घटना के रिपोर्टकर्ता के द्वारा मुख्य परीक्षण में किया गया घटना के संबंध में कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत प्रतिखण्डित हुआ है।
- 10. प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी घटना के आहत रणवीरसिंह यादव अ०सा० 4 है उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि घटना शाम के 5—6 बजे की है, उनकी चौपाल पर 4—5 लोग बैठे हुए थे तभी टीले की तरफ से गोली चलने की आवाज आई। गोली किस के द्वारा चलाई गई यह वह नहीं देख पाया था। गांव के लोग कह रहे थे कि जगन्नाथ आदि 4—5 लोगों के द्वारा घटना कारित की गई है। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उसे गालियर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उक्त साक्षी के कथन में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। ऐसी दशा में जबिक उक्त साक्षी घटना का आहत है उसके द्वारा घटना में आरोपीगण के मौजूद होने या उनके द्वारा किसी प्रकार की

कोई घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि घटना का आहत साक्षी है के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

- 11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी दलबीरसिंह अ0सा0 5, प्रहलाद अ0सा0 6, रिन्कू अ0सा0 8 के कथनों में भी आरोपीगण के द्वारा घटना में संलग्न होने या कोई घटना कारित किये जाने बावत् अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्टि करने वाला कोई तथ्य नहीं आया है। इस प्रकार घटना के बताए गए चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण का किसी प्रकार से कोई समर्थन होना नहीं पाया जाता है।
- 12. साक्षी हुकमिसंह अ०सा० 10 जिनके द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई है। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाना एवं घटनास्थल के पास स्थित मकान की चौपाल से दो खोखे 315 बोर के जिसकी पेंदी पर के.एफ. 8 एम.एम. लिखा हुआ था जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 बनाया था। इसके अतिरिक्त साक्षी प्रहलाद, दिलासाराम, हरिजनिसंह, जयदीपिसंह के कथन लेखबद्ध करना बताया है। प्रकरण के विवेचना अधिकारी हुकमिसंह यादव अ०सा० 10 के उपरोक्त कथन का जहाँ तक प्रश्न है, उनके द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही के आधार पर जबिक अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी अन्य तथ्य अभियोजन साक्षियों के कथनों में नहीं आया है, उसके आधार पर प्रकरण की प्रमाणिकता युक्तियुक्त रूप से सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।
- 13. प्रकरण में अभियोजन के द्वारा दो खाली कारतूस के खोखों की जप्ती घटना स्थल से होनी बताई गई है जो कि उक्त खोखों की जप्ती के संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी एच.एस. यादव ने उनकी जप्ती घटनास्थल के पास से करना बताया है। इस संबंध में जप्ती के साक्षी प्रहलाद अ0सा0 6 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि मौके से कोई कारतूस का खोखा बरामद किया गया है तो उक्त खोखे किसी प्रकार से घटना से संबंधित रहे हो ऐसा कहीं भी अभियोजन साक्ष्य के आधार

पर प्रमाणित नहीं होता है।

- अभियोजन के द्वारा घटना में प्रयुक्त बताए गए 315बोर के कट्टे की जप्ती के संबंध में यह बताया गया है कि उक्त कट्टा अन्य अपराध क्रमांक 206 / 09 धारा 25 / 27 आयुध अधिनियम में जप्त किया गया है जो कि इस संबंध में जप्ती पत्रक की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी. 5 वर्तमान प्रकरण में संलग्न है जिसके अनुसार आरोपी वेदप्रकाश से 315 बोर का कट्टा एवं 315बोर की रायफल जप्त किया जाना बताया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अग्नेयशस्त्र जिसे कि अन्य प्रकरण में जप्त किया जाना बताया गया है, इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए है जिनके द्व ारा कि उपरोक्त अग्नेयशस्त्र की कथित रूप से जप्ती की जानी बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त जप्ती के संबंध में जप्ती के साक्षी सोवरन अ0सा0 2 के द्वारा उसके समक्ष हुई किसी प्रकार की कोई जप्ती क तथ्य को साफतौर से इन्कार किया है। यद्यपि जप्ती पत्रक प्रापी 5 पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। जप्ती के संबंध में अन्य साक्षी रणवीरसिंह का उपरोक्त जप्ती के संबंध में कोई भी साक्ष्य कथन अभियोजन ने नहीं कराया है और न ही जप्ती पत्रक प्रमाणित किया गया है। ऐसी दशा में जहाँ तक कट्टा एवं कारतूस की जप्ती का प्रश्न है। उक्त जप्ती वर्तमान प्रकरण में नहीं की गई है, बल्कि मूल अपराध कमांक 206 / 2009 में उसे जप्त किया जाना बताया जा रहा है, किन्तु उक्त जप्ती के तथ्य को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं कराया गया हैं। ऐसी दशा में जबकि जप्ती पत्रक जिसके जरिए 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस जप्त होना बताया जा रहा है वह भी प्रमाणित नहीं है।
- 15. इस परिप्रेक्ष्य में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, प्र.सी.1 में परीक्षित अग्नेयशस्त्र 315बोर की देशी निर्मित पिस्तौल होना तथा जप्तशुदा कारतूस जीवित होना पाया गया है, इसके अतिरिक्त मौके से चले हुए कारतूस के खोखे उक्त पिस्तौल से चलाए जा सकने के संबंध में अभिमत दिया गया है, किन्तु इस संबंध में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त देशी पिस्तौल और जीवित कारतूस की कोई जप्ती आरोपी अथवा आरोपीगण के आधिपत्य से होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में मात्र परीक्षण रिपोर्ट प्र.सी.1 के आधार पर आरोपीगण के अपराध में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा

अपराध कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

- 16. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि घटना के फरियादी / रिपोर्टकर्ता दिलासाराम अ०सा० 1 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में किन्हीं कारणों से वह अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं कर रहा है, किन्तु जबिक उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से घटना का समर्थन किया गया है। इस बिन्दु पर खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि० स्टेट ऑफ एम.पी. 1991 सी. आर.आई.एल.जे. 2653 का हवाला दिया गया है और यह व्यक्त किया गया है कि भले ही वह प्रतिपरीक्षण के दौरान मुख्य परीक्षण में किए गए तथ्यों का समर्थन नहीं कर रहा है उसका कथन विश्वसनीय मानते हुए अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होती है।
- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह सत्य है कि पक्षद्रोही 17. साक्षी के कथन पूरी तरह दरिकनार नहीं किये जा सकते है और वह रिकार्ड से वास आउट नहीं होते है। यदि उनके आधार पर अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि हो रही हो तो वह मान्य की जा सकती है, किन्तू साथ ही यह भी सुरथापित वैधानिक रिथति है कि साक्ष्य का अर्थ मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण दोनों में आए हुए तथ्यों से होता हो और यदि सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत साक्षियों के कथन विश्वसनीय पाए जाए तभी उस पर विश्वास किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में यद्यपि साक्षी दिलासाराम अ०सा० 1 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ६ ाटना घटित होने के संबंध में बताया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन का प्रतिखण्डन किया गया है। ऐसी दशा में जबिक घटना का आहत रणवीरसिंह यादव स्वयं मौजूद है और उसके द्वारा उसके साथ आरोपीगण के द्वारा किसी प्रकार की घटना करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। मात्र साक्षी दिलासाराम यादव अ०सा० 1 के मुख्य परीक्षण में आए हुए कथन के आधार पर आरोपीगण या किसी आरोपी को घटना में संलग्न होना मानते हुए उनके विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

- उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई 18. अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है कि दिनांक 07.08.09 को समय 05:30 बजे ग्राम लुहार पुरा थाना मौ क्षेत्र में आरोपीगण के द्वारा फरियादी रणवीर सिंह को अग्नेयशरत्र से प्राणघातक उपहति इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में करना कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी हो जाते एवं वैकल्पिक आरोप जो कि हत्या करने के प्रयतन के संबंध में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में कृत्य किये जाने बावत् है का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपीगण को धारा 307 भा०द०वि० विकल्प में धारा 307/34 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 🚵 प्रकरण में जप्तशुदा बताए गए कारतूस के दो खाली खोखे मूल्यहीन 19. होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्दोशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, (म०प्र०)

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, (म०प्र०)